भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4008

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

एसटी छात्रों के लिए ई-अनुदान

†4008 श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसटी छात्रों के लिए 60 प्रतिशत ई-अनुदान केंद्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने 2022 से ई-ग्रांट के लिए 2.5 लाख रूपये की आय सीमा निर्धारित की है, जिसके कारण राज्य सरकारों को उन छात्रों के लिए सौ प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राज्य सरकारों पर बहुत बड़ा बोझ है और एससी/एसटी छात्रों को अकसर समय पर ई-अनुदान नहीं मिल पाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-अनुदान के लिए आय सीमा तय करना संरचनात्मक रूप से सही नहीं है और छात्रों को दो साल की फीस सहित यह सही राशि नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार का योगदान 75% है और राज्य का योगदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में, भारत सरकार का योगदान 90% है और राज्य का योगदान 10% है। अंडमान और निकोबार जैसे बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, भारत सरकार का योगदान 100% है। पात्र अजजा (एसटी) छात्रों को आगे के वितरण के लिए केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार को जारी किया जाता है और पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल रूप से निगरानी की जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) भी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इसी तरह की छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजना के तहत भारत सरकार का योगदान 60% है और राज्य का योगदान 40% है। एमओएसजेई द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, एमओएसजेई द्वारा केंद्रीय हिस्सा (60%) सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में जारी किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य को (केंद्रीय हिस्सा) निधियां जारी करता है और राज्य अपने हिस्से के साथ डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति संवितरित करता है।

(ख): अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर मांग आधारित ओपन एंडेड (खुली) योजना है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी अजजा (एसटी) छात्र जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। हालांकि, राज्य सरकारें उन छात्रों को कवर करने के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित (लागू) अजजा (एसटी) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

(ग) से (ड.): अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद आय सीमा तय की गई और तदनुसार योजना मानदंडों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु ईएफसी/कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

छात्रवृत्ति का वितरण एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए पर्याप्त निधियां है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, एसएनए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने, एमओटीए डीबीटी पोर्टल पर व्यय और लाभार्थियों के डेटा का विवरण प्रस्तुत करने की शर्त पर (के अधीन) केंद्रीय हिस्से का 50% तक अग्रिम जारी करता है। राज्यों को समय पर छात्रवृत्ति वितरित करने की सलाह दी जाती है, ताकि छात्रों पर वित्तीय बोझ न पड़े। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन करना और पात्र अजजा (एसटी) छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य आवश्यक दस्तावेजों/अनुपालन जैसे उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), व्यय का विवरण (एसओई), एसएनए अनुपालन आदि के साथ उनकी मांग/प्रस्ताव के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय हिस्सा जारी करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक - 1** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

एसटी छात्रों के लिए ई-अनुदान के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा पूछे गए दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †4008 भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

2021-22 से 2023-24 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण

रुपये करोड़ में

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्र वृत्ति	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2021-22	394.14	2256.81
2022-23	357.30	1964.65
2023-24	308.60	2668.68

*****